न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—219 / 2024

प्रार्थीः—

1. बाबुसिंह पुत्र भोपसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र भोपसिंह
3. मादा उर्फ ओमप्रकाश पुत्र भोपसिंह
4. प्यारीदेवी पत्नी भोपसिंह

   जाति पुरोहित निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

श्री पूनमचन्द रामदेव
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—15.10.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 135, 136, 421, 422 व 423 रकबा क्रमशः 0.2105, 13.0147, 05.4956, 01.5540 व 04.3220 हैक्टेयर ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में उनके पिता / पति का वास्तविक नाम भोपसिंह ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता / पति का नाम भोपसिंह के स्थान पर भोमा लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता / पति नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक—भू.अ. / 2025/1849 दिनांक 10.09.2025 द्वारा प्रार्थीगण के पिता / पति के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि प्रस्तुत किये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:44:40 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उनके पिता/पति का वास्तविक नाम भोपसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम भोमा लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता/पति का शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि दस्तावेजात में उनके पिता/पति का नाम भोपसिंह है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम भोपसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनके पिता/पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महिलावास तहसील सिवाना की खसरा संख्या 135, 136, 421, 422 व 423 रकबा क्रमशः 0.2105, 13.0147, 05.4956, 01.5540 व 04.3220 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम भोमा के स्थान पर 'भोपसिंह उर्फ भोमा' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:44:40 IST
Reason: SelfAttested